बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०स०:–2/अ0प्र0–02–03/2017 59 /पटना, दिनांक :– 12.11.2020

श्री सपेन्द्र पंडित, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी को निगरानी विभाग द्वारा दिनांक 12.06.2017 को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने एवं निगरानी थाना कांड संख्या–041/2017 दिनांक 12.06.2017 दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के आलोक में कार्यालय आदेश संख्या–341–सह–पठित ज्ञापांक–2016 दिनांक 11.07.2017 द्वारा श्री पंडित को दिनांक 12.06.2017 के प्रभाव से निलंबित किया गया है।

2. उक्त आरोपों पर श्री पंडित के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर कार्यालय आदेश संख्या–391–सह–पठित ज्ञापांक–3602 दिनांक 15.12.2017 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी (मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना) से जॉच प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है।

3. श्री पंडित द्वारा विभाग को एक आवेदन दिनांक 18.09.2020 समर्पित कर अपने कैंसर रोग से पीड़ित होने का उल्लेख करते हुए जीवन निर्वाह भत्ता में बढ़ोत्तरी का अनुरोध किया गया है। श्री पंडित से प्राप्त आवेदन के आलोक में मामले की समीक्षा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में की गई। श्री पंडित तीन वर्षो से अधिक अवधि से निलंबित है एवं इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही सम्प्रति प्रक्रियाधीन है, जिसमें विलंब के लिये श्री पंडित उत्तरदायी प्रतीत नहीं होते हैं। साथ ही इनके विरूद्ध आपराधिक मामला भी माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

4. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10(1)(i) में वर्णित प्रावधान के आलोक में श्री सपेन्द्र पंडित, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय–अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता का 30% (तीस प्रतिशत) तत्काल प्रभाव से बढ़ोत्तरी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह० 21/10/2020

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–02–03/2017 1731 /पटना, दिनांक :– 12.11.2020

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 21/10/2020

अभियंता प्रमुख

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secretary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@nic.

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–02–03/2017 1731 /पटना, दिनांक :– 12-11-2020

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना /पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4 एवं प्रशाखा–12(लेखा), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री सपेन्द्र पंडित, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय–अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख